

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 575 OF 2025

THE MATTER OF:

Pawan Bihari

.... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

.... Respondents

INDEX

NDOH : 09.07.2026

S. No.	Particulars	Pages
1.	RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-4, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 09.04.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.	
2.	<u>Annexure- 1</u> A true copy of the letter dated 08.05.2026	
3.	<u>Annexure- 2</u> A true copy of the order dated 08.05.2026	
4.	<u>Annexure- 3</u> A true copy of an inspection report dated 08.06.2026 alongwith the photographs taken during inspection	
5.	<u>Annexure- 4</u> A detail of action taken alongwith the photographs taken during inspection.	
6.	<u>Annexure- 5</u> A true copy of the order dated 08.05.2026	
7.	<u>Annexure- 6</u> A true copy of the letter dated 08.05.2026	

Respondent No.4

Through



(HARSHITA RAGHUVANSHI)

Advocate for the Respondent No.4,

Chamber No. 439, 4th Floor,

Block D, Additional Building Complex,

Supreme Court, New Delhi-01

Mobile No. 8090217309

E-mail: harshitaraghuvanshi@hotmail.com

Dated: 06.07.2026

New Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 575 OF 2025

IN THE MATTER OF:
PAWAN BIHARI

...Applicant

Versus

STATE OF U.P. & ORS.

...Respondents

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-4, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 09.04.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

I, Pankaj Yadav aged about 45 years, S/o Shri Lalmani Yadav presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Mathura (hereinafter referred to as UPPCB), I do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That the grievance raised in the present matter is regarding functioning of illegal brick kiln namely M/s Chaudhary Digambar Singh Ent Udyog from 2021 in Village-Inayatya Bangar, Tehsil-Mant, District-Mathura, U.P. by Chaudhary Satyapal Singh S/o Shri Digambar Singh. It is further alleged by the applicant that the brick kiln in question is established on khasara no.-87 instead of khasara no.-79 wherefore the consent to establishment (CTE) has been issued.
3. That in compliance to the previous orders dated 24.11.2025 and 17.02.2026 the UPPCB has already filed its responses before this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New



Delhi (hereinafter ⁸¹referred to as Hon'ble Tribunal) for consideration, which is on record.

4. That further on the next date fixed, i.e. 09.04.2026, the present matter was taken up by this Hon'ble Tribunal, when this Hon'ble Tribunal upon considering the grievance in question and the replies, responses and reports filed by the concerned respondents, was pleased to pass the following direction:

"...9. In view of the facts and circumstances of the case, Precautionary Principle embodied in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 and in exercise of powers conferred by Section 19 (4) of the National Green Tribunal Act, 2010, respondent no.5 is restrained from operating the brick kiln in question and the District Magistrate, Mathura and the Superintendent of Police, Mathura are directed to take all requisite measures for ensuring that the brick kiln does not operate illegally.

10. In view of the 'polluter pays' principle embodied in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 and in exercise of powers under Section 15 of the above said Act, the baked/unbaked bricks lying in the brick kiln having been made by respondent no. 5 illegally by operating the brick kiln in violation of the environmental laws/norms and without CTE/CTO from UPPCB are ordered to be seized and to be sold by way of public auction and the sale proceeds are ordered to be deposited by the District Magistrate, Mathura with the Ld. Registrar General of this Tribunal subject to further orders for adjustment towards environmental compensation to be imposed on the respondent no.5 and utilization thereof for remediation of environmental damage caused.

11. The District Magistrate, Mathura is directed to take over possession of the baked/unbaked bricks lying in respondent no.5-brick kiln and dispose of the same by way of public auction and to file action taken report and deposit the amount with the Ld. Registrar General of this Tribunal accordingly within two months which amount shall be liable to be utilized towards remediation of environmental damage caused in accordance with further directions of this Tribunal.

12. We are also of the considered view that the compliance status of all the brick kilns operating in District Mathura needs to be verified and appropriate action is required to be taken by the concerned Statutory Authorities on the basis of the factual verification report. Accordingly, the District Magistrate, Mathura



and Regional Officer, UPPCB, Mathura are directed to verify compliance status of all the brick kilns operating in District Mathura and also to take appropriate remedial action against the violators on the basis of such factual verification reports in accordance with law and to file joint action taken report within two months...."

4. That in compliance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal, the District Magistrate Mathura has sent a letter dated 08.05.2026 to the Superintendent of Mathura regarding the non-operation of the brick kiln in question in any circumstances. A true copy of the letter dated 08.05.2026 is being annexed herewith and marked as **Annexure-R4/1**.

5. That further in pursuance to the above direction passed by this Hon'ble Tribunal, the District Magistrate Mathura vide its letter dated 08.05.2026 has constituted a joint committee comprising the representatives of Sub-District Magistrate, Tehsil-Mant, Mathura, Regional Officer, UPPCB, District Mining Officer, Mathura and Additional Chief Officer, District Panchayat, Mathura to verify a compliance status and factual position regarding the grievance in question.



A true copy of the order dated 08.05.2026 is being annexed herewith and marked as **Annexure-R4/2**.

6. That in continuation to the above direction the constituted joint committee has undertaken the site visit on 08.06.2026 and carried out the inspection of the brick kiln in question in presence of brick kiln representative. During the course of inspection, the brick kiln in question found to be closed in compliance to the closure order issued by the UPPCB and no raw or baked bricks were found stored in brick kiln premises.

A true copy of an inspection report dated 08.06.2026 alongwith the photographs taken during inspection is being annexed herewith and marked as **Annexure-R4/3**.

7. That it is worthwhile to mention here that the UPPCB in joint collaboration with concerned authorities has inspected the brick kilns operated in Mathura in the current session, wherein 09 brick kilns have been found operating illegally, wherefore the operation of the said brick kilns has been stopped by pouring water in them on 04.04.2026 with direction that in future the brick kilns shall not be operated without obtaining consent under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended.

A detail of action taken alongwith the photographs taken during inspection is being annexed herewith and marked as **Annexure-R4/4**.

8. That it is also pertinent to mention here that in compliance with the direction passed by this Hon'ble Tribunal to verify compliance status of all the brick kilns operating in District Mathura, the District Magistrate Mathura vide its order dated 08.05.2026 has also constituted the joint committee comprising the representatives of Sub-District Magistrate, Tehsil-Mant, Mathura, Regional Officer, UPPCB, District Mining Officer, Mathura, Additional Chief Officer, District Panchayat, Mathura, Chief Fire Officer, Mathura and concerned Police Station Head, Mathura.

A true copy of the order dated 08.05.2026 is being annexed herewith and marked as **Annexure-R4/5**.

9. That further, pursuant to the office order dated 08.05.2026 passed by the District Magistrate, Mathura, UPPCB vide its letter dated 11.06.2026 by nominating the representative on its behalf has informed the concerned committee members regarding the compliance of direction passed by this Hon'ble



A handwritten signature in blue ink, likely of the notary or a representative, located at the bottom of the page.

Tribunal to verify compliance status of all the brick kilns operating in District Mathura, and also to file a report before the Hon'ble Tribunal for consideration.

A true copy of the letter dated 08.05.2026 is being annexed herewith and marked as Annexure-R4/6.


That the above response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Mathura on this the 02nd day of July, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

[Signature]
DEPONENT



Ramvir Singh
Document read over and explain
to Shri Kanhaiyalal
Swhois identified by Shri [Signature]
on oath attested to day 02/07/26
S.No. [Signature] has been registered
at my office and charges fees Rs [Signature]
Ramvir Singh
Advocate Notary
Distt: Court Mathura

Ramvir Singh
पं. न्यायिक / हस्ताक्षर 3.8.8
पं. पं. न्यायिक



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।



REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

पत्रांक- 257/0-127/2026

दिनांक- 22/06/2026

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-09.04.2026 के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-09.04.2026 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

"....9. In view of the facts and circumstances of the case, Precautionary Principle embodied in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 and in exercise of powers conferred by Section 19 (4) of the National Green Tribunal Act, 2010, respondent no.5 is restrained from operating the brick kiln in question and the District Magistrate, Mathura and the Superintendent of Police, Mathura are directed to take all requisite measures for ensuring that the brick kiln does not operate illegally.

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा अपने पत्र सं०-136/प्र०नि०बो०/2026 दिनांक-08.05.2026 के माध्यम से ईट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में न होने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जनपद-मथुरा को पत्र प्रेषित किया गया है (संलग्नक-1)।

....11. The District Magistrate, Mathura is directed to take over possession of the baked/unbaked bricks lying in respondent no.5-brick kiln and dispose of the same by way of public auction and to file action taken report and deposit the amount with the Ld. Registrar General of this Tribunal accordingly within two months which amount shall be liable to be utilized towards remediation of environmental damage caused in accordance with further directions of this Tribunal.

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा अपने पत्र सं०-134/प्र०नि०बो०/2026 दिनांक-08.05.2026 के माध्यम से संयुक्त समिति का गठन किया गया है (संलग्नक-2)। संयुक्त समिति द्वारा उक्त ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक-09.04.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे का संचालन बन्द पाया गया तथा ईट भट्ठा परिसर में किसी भी प्रकार की कच्ची एवं पक्की ईटें भण्डारित नहीं पायी गयी। निरीक्षण आख्या संलग्न है (संलग्नक-3)।

12. We are also of the considered view that the compliance status of all the brick kilns operating in District Mathura needs to be verified and appropriate action is required to be taken by the concerned Statutory Authorities on the basis of the factual verification report. Accordingly, the District Magistrate, Mathura and Regional Officer, UPPCB, Mathura are directed to verify compliance status of all the brick kilns operating in District Mathura and also to take appropriate remedial action against the violators on the basis of such factual verification reports in accordance with law and to file joint action taken report within two months."

..2..

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा अपने पत्र सं0-135/प्र0नि0बो0/2026 दिनांक-08.05.2026 के माध्यम से संयुक्त समिति का गठन किया गया है (संलग्नक-4)। जनपद मथुरा में स्थापित/संचालित अवैध ईट भट्ठों का निरीक्षण कर कार्यवाही की जाती है। वर्तमान सत्र में कुल-09 अवैध ईट भट्ठों का निरीक्षण कर ईट भट्ठे में पानी डलवाकर ईट भट्ठों का संचालन बन्द कराया गया है, जिनका विवरण संलग्न है (संलग्नक-5)। अग्रेतर अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक-09.07.2026 को नियत है।

भवदीय



(पंकज यादव)

क्षेत्रीय अधिकारी *dc*

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय अधिकारी *dc*

संलग्नक 01

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा।

दिनांक- 08/05/2026

पत्रांक:- 136 / प्र0नि0बो0 / 2026

-आदेश-


पुलिस अधीक्षक,
जनपद-मथुरा।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-24.11.2025 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्ठा मै0 चौधरी दिगम्बर सिंह ईट उद्योग, खसरा सं0-79ए, ग्राम-फिरोजपुर बांगर, तहसील-मांट, जनपद-मथुरा को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-11.02.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त भट्ठे का अद्यतन निरीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-मथुरा, तहसील मांट-मथुरा एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-05.01.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे का संचालन बन्द पाया गया। वर्तमान में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-09.04.2026 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:-

"9. In view of the facts and circumstances of the case, Precautionary Principle embodied in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 and in exercise of powers conferred by Section 19 (4) of the National Green Tribunal Act, 2010, respondent no.5 is restrained from operating the brick kiln in question and the District Magistrate, Mathura and the Superintendent of Police, Mathura are directed to take all requisite measures for ensuring that the brick kiln does not operate illegally".

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-09.04.2026 के अनुपालन में ईट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में न होने के सम्बन्ध में ईट भट्ठे पर सतत निगरानी रखना सुनिश्चित करें।

भवदीय


(चन्द्र प्रकाश सिंह)
जिलाधिकारी,
मथुरा।

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा।

पत्रांक:- 134 / प्र0नि0बो0 / 2026

दिनांक- 08/05/2026

-आदेश-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-09.04.2026 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:-


"11. The District Magistrate, Mathura is directed to take over possession of the baked/unbaked bricks lying in respondent no.5-brick kiln and dispose of the same by way of public auction and to file action taken report and deposit the amount with the Ld. Registrar General of this Tribunal accordingly within two months which amount shall be liable to be utilized towards remediation of environmental damage caused in accordance with further directions of this Tribunal.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन कराये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. उप जिलाधिकारी, तहसील-मांट, जनपद-मथुरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जनपद-मथुरा।
3. जिला खनन अधिकारी, जनपद-मथुरा।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद-मथुरा।

उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक-09.07.2026 को नियत की गयी है। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में उक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.02.2026 का अनुपालन कराते हुए आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय


(चन्द्र प्रकाश सिंह)
जिलाधिकारी,
मथुरा।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-09.04.2026 के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-09.04.2026 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

".....The District Magistrate, Mathura is directed to take over possession of the baked/unbaked bricks lying in respondent no.5-brick kiln and dispose of the same by way of public auction and to file action taken report and deposit the amount with the Ld. Registrar General of this Tribunal accordingly within two months which amount shall be liable to be utilized towards remediation of environmental damage caused in accordance with further directions of this Tribunal"...

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा पत्र दिनांक-08.05.2026 के माध्यम से संयुक्त समिति का गठन किया गया है। संयुक्त समिति द्वारा उक्त ईट भट्टा मैसर्स चौधरी दिगम्बर सिंह ईट उद्योग ग्राम इनायदगढ़ बांगर, तहसील मांट, जनपद मथुरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-08.06.2026 को ईट भट्टा प्रतिनिधि श्री राजकुमार की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टे का संचालन बन्द पाया गया तथा ईट भट्टा परिसर में किसी भी प्रकार की कच्ची एवं पक्की ईटे भण्डारित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स अवलोकनार्थ संलग्न है।



(रणजीव कुमार)
अनुश्रवण सहायक,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

(लाल सीहब वर्मा)
राजस्व निरीक्षक,
जिला पंचायत,
जनपद-मथुरा।

(अक्षय कुमार),
खान निरीक्षक,
खनन विभाग
जनपद-मथुरा।

(उत्कर्ष वर्मा)
नायब तहसीलदार,
तहसील-मांट,
जनपद-मथुरा।

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा।

पत्रांक:- 135 / प्र0नि0बो0 / 2026

दिनांक-08/05/2026

-आदेश-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-575 / 2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-09.04.2026 के सुरंगत अंश निम्नवत् हैं:-

"12. We are also of the considered view that the compliance status of all the brick kilns operating in District Mathura needs to be verified and appropriate action is required to be taken by the concerned Statutory Authorities on the basis of the factual verification report. Accordingly, the District Magistrate, Mathura and Regional Officer, UPPCB, Mathura are directed to verify compliance status of all the brick kilns operating in District Mathura and also to take appropriate remedial action against the violators on the basis of such factual verification reports in accordance with law and to file joint action taken report within two months.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में जनपद मथुरा में अवैध रूप से संचालित ईट भट्ठों में पानी डालकर ईट भट्ठे का संचालन बन्द कराये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. उप जिलाधिकारी, तहसील-मांट/छाता अथवा नामित प्रतिनिधि।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जनपद-मथुरा अथवा नामित प्रतिनिधि।
3. जिला खनन अधिकारी, जनपद-मथुरा अथवा नामित प्रतिनिधि।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद-मथुरा अथवा नामित प्रतिनिधि।
5. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, जनपद-मथुरा अथवा नामित प्रतिनिधि।
6. सम्बन्धित थानाध्यक्ष, जनपद-मथुरा अथवा नामित प्रतिनिधि।

उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक-09.07.2026 को नियत की गयी है। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में उक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में तत्काल प्रभाव से अग्नि शमन विभाग से अवैध ईट भट्ठों में पानी डलवाकर ईट भट्ठे का संचालन बन्द कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय


(चन्द्र प्रकाश सिंह)
जिलाधिकारी,
मथुरा।

-आख्या-

मै0 जय दुर्गा मीं ईट उधोग खसा सं 621, बटा बागा तह-6.1.1
 पानपट - मथुरा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा
 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी
 आदेश पत्रांक-एच 33012/1-4/ईट-864/व-सी/2022 दिनांक:-16/03/22
 के अनुपालन में आज दिनांक-04/04/26 को ईट भट्ठे में पानी डालकर आग बुझा दिया
 गया एवं भट्ठे का संचालन बन्द करा दिया गया। इसके अतिरिक्त ईट भट्ठा प्रतिनिधि को
 निर्देशित किया गया कि बिना राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त किये
 बिना किसी भी दशा में ईट भट्ठे का संचालन कदापि न किया जाये।

उपस्थित ईट भट्ठा
 प्रतिनिधि का नाम

लोकमनी प्रो. फाइयल


 04/04/26

अधिकारी / कर्मचारी
 का नाम एवं पदनाम

1- रणधीर कुमा [अनुपात
 उ० उ० प्रपय सी० वी
 मथुरा



 04-04-2026

2- चंडकिशोर गुप्ता
 04-04-2026


3- कमलदीप सिंह
 हेड कार्गटवेल
 धना शीगा

कमलदीप सिंह

4.


 04/4/26
 अपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत मथुरा

5


 04/4/26
 खान निरीक्षक
 मथुरा

मै0 जय दुर्गा मां ईट उद्योग, खसरा सं0-621, बढा बांगर, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।


Conota
Cameras for work



Jai Dirga Maa Ent Udyog
04.04.2026 17:10
27.82352, 77.54910
RGCX+PPW, Barha Bangar 281404



Conota
Cameras for work



Jai Dirga Maa Ent Udyog
04.04.2026 17:09
27.82352, 77.54910
RGCX+PPW, Barha Bangar 281404



-आख्या-

मै० लालू बारा ईट खोला खाना से - 116, 117, 118 मकान बागा, खो- डाता
 जनपद- मथुरा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा
 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी
 आदेश पत्रांक-एच 32531/6-5/ईट-889/वरी-डाता/2022 दिनांक:- 29/3/22
 के अनुपालन में आज दिनांक- 04/04/26 को ईट भट्ठे में पानी डालकर आग बुझा दिया
 गया एवं भट्ठे का संचालन बन्द करा दिया गया। इसके अतिरिक्त ईट भट्ठा प्रतिनिधि को
 निर्देशित किया गया कि बिना राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त किये
 बिना किसी भी दशा में ईट भट्ठे का संचालन कदापि न किया जाये।

उपस्थित ईट भट्ठा
 प्रतिनिधि का नाम

वासुदेव चौकीदार
 महेन्द्रजीय

4/4/26

अधिकारी/कर्मचारी
 का नाम एवं पदनाम

1- Rampet Khandelwal
 VP PCB Mathura



 4/4/26

2- कडकिया राजू
 09-09-2020

3- कमलदीप सिंह
 हेड अटल
 धातुशोध

कमलदीप सिंह

4-


 04/4/26
 अपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत मथुरा

⑤

Ashy Kum
 4/4/26
 खान निरीक्षक
 मथुरा

मै0 साई बाबा ईट उद्योग, खसरा सं0-116, 117, 118, मझोई बांगर, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।



Conota
Camera for work

Sai Baba Ent Udyog
04.04.2026 16:43
27.84226, 77.54513
RGRW+W3, Majhol Bangar 281404



Conota
Camera for work

साई बाबा ईट उद्योग
मझोई खसरा संख्या (मथुरा)। पं. 8630703056...
SBB मार्ग
OGAEFFSO1M2A

Sai Baba Ent Udyog
04.04.2026 16:33
27.84177, 77.54493
RGRW+W3, Majhol Bangar 281404

-आख्या-

मै० श्री भाधव दत्त सि रघोग खाना तरे. 194, शहमापुर बाग.....
 तरे दाना पत्रा प्रथा..... के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा
 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी
 आदेश पत्रांक-एच 33536/1-4/सि-4/सि-891/वरी/अये/2022 दिनांक:- 29/3/2022
 के अनुपालन में आज दिनांक- 04/04/26 को ईट भट्ठे में पानी डालकर आग बुझा दिया
 गया एवं भट्ठे का संचालन बन्द करा दिया गया। इसके अतिरिक्त ईट भट्ठा प्रतिनिधि को
 निर्देशित किया गया कि बिना राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त किये
 बिना किसी भी दशा में ईट भट्ठे का संचालन कदापि न किया जाये।

उपस्थित ईट भट्ठा
 प्रतिनिधि का नाम

रमेश कुमार
 उन्नी
 04/04/26

अधिकारी/कर्मचारी
 का नाम एवं पदनाम

1. रणजीत कुमार शर्मा
 UPPCB Mathura

04/04/26

2. चंडबिहारे गोेल


3. 
 04/04/26
 अपर मुख्य अधिकारी
 जिला प्रंचायत मथुरा

4. कमलदीप सिंह
 लेड कान्सेकन

कमलदीप सिंह

5. Arshay Kumar
 04/04/26
 खान निरीक्षक
 मथुरा

मै0 श्री माधवदास ईट उद्योग, खसरा सं0-194, शहजादपुर बांगर, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।




-आख्या-

मै० दाउजी महाकाज ईट उद्योग खासा सं० १५४, इमानी बागंर
 तह०-दाता, जनप्रदु-मथुरा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा
 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी
 आदेश पत्रांक-एच 72861/6-4/ईट-839/बन्दी/2022 दिनांक:- 15/2/2022
 के अनुपालन में आज दिनांक- 04/04/26 को ईट भट्ठे में पानी डालकर आग बुझा दिया
 गया एवं भट्ठे का संचालन बन्द करा दिया गया। इसके अतिरिक्त ईट भट्ठा प्रतिनिधि को
 निर्देशित किया गया कि बिना राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त किये
 बिना किसी भी दशा में ईट भट्ठे का संचालन कदापि न किया जाये।


उपस्थित ईट भट्ठा
 प्रतिनिधि का नाम

कृष्णान
 04/04/2026
 मथुरा

अधिकारी/कर्मचारी
 का नाम एवं पदनाम

- 1- राजीव कुमार अत्रेया
 U.P.P.C.B Mathura
 - 2- चन्द्र सिंह गौतम चंड विहारी
 F.S.
 - 3- विजय सिंह
 लेखपाल
 - 4- कमलदीप सिंह
 हेड क्लर्क, मथुरा
 - 5- 
 04/4/26
 अपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत मथुरा
- ⑥
 Anshu Kumar
 4/4/26
 खान निरीक्षक
 मथुरा

मै0 दाऊजी महाराज ईट उद्योग, खसरा सं0-258, उझानी बांगर, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।



-आख्या-

मै० श्री गोपाल जी बिक्रम जगन्नीज खसरा प्लॉ 357 ए गांव टम्हानी
 तहसील दाता जलपट्टा - मथुरा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा
 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी
 आदेश पत्रांक-एच 72039/1-4/टि-787/वरी दादा/2022 दिनांक:- 28/02/2022
 के अनुपालन में आज दिनांक- 04/04/2026 को ईट भट्ठे में पानी डालकर आग बुझा दिया
 गया एवं भट्ठे का संचालन बन्द करा दिया गया। इसके अतिरिक्त ईट भट्ठा प्रतिनिधि को
 निर्देशित किया गया कि बिना राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त किये
 बिना किसी भी दशा में ईट भट्ठे का संचालन कदापि न किया जाये।

उपस्थित ईट भट्ठा
 प्रतिनिधि का नाम

अधिकारी/कर्मचारी
 का नाम एवं पदनाम

सचिव
 मथुरा
 4/04/26

1- रणजीत कुमार मथुरा
 U P PCB Mathura -

4/4/26

2. चन्दन मोहं गौतम
 FS 4/4/26

3. ~~जयशंकर~~
 पापा 26
 Revenue

4- HC 1374 कमलदीप सिंह
 भासा - शेखाद
 सि० = 4-04-26

52
 04/4/26
 अपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत मथुरा

6) Akshay Kumar
 4/4/26
 खान निरीक्षक
 मथुरा

मै0 श्री गोपाल जी ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, खसरा सं0-357 ए, ग्राम-उझानी, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।



Shree Gopal Ji Briks Industri
04.04.2026 13:49
27.80914, 77.58446
RH5M+H3, Ujhani Khadar 281404



Shree Gopal Ji Briks Industri
04.04.2026 13:55
27.80917, 77.58460
RH5P+45, Daulatpur Khader 281404

—आख्या—

मै० जय बाबा मोहन राम बिकास उद्योग खसरा से० - २१९, गाँव इफरी,
 बागाँव तह० दाता जामपुर-मथुरा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा
 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी
 आदेश पत्रांक-एच 72043/C-4/ईट - 783/व-पि शोका/ 2022 दिनांक:- 23/02/22
 के अनुपालन में आज दिनांक- 04/04/26 को ईट भट्ठे में पानी डालकर आग बुझा दिया
 गया एवं भट्ठे का संचालन बन्द करा दिया गया। इसके अतिरिक्त ईट भट्ठा प्रतिनिधि को
 निर्देशित किया गया कि बिना राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त किये
 बिना किसी भी दशा में ईट भट्ठे का संचालन कदापि न किया जाये।

उपस्थित ईट भट्ठा
 प्रतिनिधि का नाम

दिगम्बर सिंह जी० -
 4-4-26

अधिकारी/कर्मचारी
 का नाम एवं पदनाम

1- रणवीर कुमार शर्मा
 U.P.P.C.B Mathura

04/04/26

2- चंद्र शर्मा जी०

F.S. चंडिकाशर्मा

3- विजय सिंह, लखनपाल

04-04-26
 04/04/2026

4- कमलदीप सिंह एस डी शर्मा
 दाता शोका।

कमलदीप सिंह
 4-04-26

-5

04/04/26
 अफसर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत मथुरा

⑥

Ashy Kumar
 4/4/26
 खान निरीक्षक
 मथुरा

मै0 जय बाबा मोहन राम ब्रिक्स उद्योग, खसरा सं0-218, ग्राम-उझानी बांगर, तहसील-छाता,
जनपद-मथुरा।

Conota
Camera for work



Jai Baba Mohan Ram Ent Udyog
04.04.2026 15:09
27.80086, 77.56949
Chandroo Ka Nagla, Ujhani Bangar, Mathura, Ujhani Bangar 281404

Conota
Camera for work



Jai Baba Mohan Ram Ent Udyog
04.04.2026 15:11
27.80093, 77.56922
Chandroo Ka Nagla, Ujhani Bangar, Mathura, Ujhani Bangar
281404

SE

-आख्या-

मै० S.S. बोहरे जी ईट उद्योग खसरा सं० - २५८, ग्राम, अफान, तहसील, मथुरा
 के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश पत्रांक-एच 720 SS/C-4/ईट 795/ए.आ.दे. / 2022 दिनांक:- 28/11/22 के अनुपालन में आज दिनांक- 04/11/26 को ईट भट्ठे में पानी डालकर आग बुझा दिया गया एवं भट्ठे का संचालन बन्द करा दिया गया। इसके अतिरिक्त ईट भट्ठा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि बिना राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना किसी भी दशा में ईट भट्ठे का संचालन कदापि न किया जाये।

उपस्थित ईट भट्ठा
 प्रतिनिधि का नाम

श्रीराम सु-बी
 4-11-26

अधिकारी/कर्मचारी
 का नाम एवं पदनाम

- 1- शशीत कुमार अड्डा
 U.P.P.C.S Mathura
- 2- चंद्र शिव गौतम
 F.S. पंडित
- 3- विजय सिंह, लेखपाल
 04-09-2026
 04/11/2026
- 4- कमलदीप सिंह, हेड कार्टेबल
 धाना, शेरगढ़
 कमलदीप सिंह
 4-09-26
- 5-
 04/11/26
 अफर मुख्या अधिकारी
 जिला पंचायत मथुरा
- 6-
 Alshay Kumar
 4/11/26
 खान निरीक्षक
 मथुरा

मै0 एस0एस0 बोहरे जी ईट उद्योग, खसरा सं0-245, ग्राम-उझानी, तहसील-छाता, मथुरा।



S S Bohare Ji Ent Udyog
04.04.2026 14:45
27.80611, 77.57122
RH5C+663, Ujhani Bangar 281404



S S Bohare Ji Ent Udyog
04.04.2026 14:47
27.80597, 77.57097
RH5C+663, Ujhani Bangar 281404



सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

विषय:- बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठा बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं०-एच७३५२७/सी-४/ईट-८८५/बन्दी आदेश/२०२२ दिनांक-२९.०३.२०२२ के माध्यम से मेरे ईट भट्ठे को बन्दी आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में मेरे द्वारा वर्तमान में ईट भट्ठे का संचालन नहीं किया जा रहा है तथा बिना उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन के लिये सहमति आदेश जल एवं वायु प्राप्त किये भविष्य में भी ईट भट्ठे का संचालन नहीं किया जायेगा।

दिनांक:- ०५/०४/२६

प्रतिलिपि- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-४), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

प्रार्थी


(दीपक गोयल)

पार्टनर

मै० जय बाबा फलारी ईट उद्योग (वर्तमान नाम
मै० श्री कृष्णा ब्रिक्स फील्ड), खसरा सं०-२१५
ए, २१३, ग्राम-ऐंच, तहसील-छाता,
जिला-मथुरा।

मै0 जय बाबा फलारी ईट उद्योग, खसरा सं0-215 ए, 213, ग्राम-ऐँच, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।



दिनांक:- 05/04/2026

सेवा में,
क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

विषय:- ईट भट्ठे को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-29.03.2022 के द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठा बन्द रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं०-एच73533/सी-4/ईट-884/बन्दी आदेश/2022 दिनांक-29.03.2022 के माध्यम से मेरे ईट भट्ठे को बन्दी आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में मेरे द्वारा ईट भट्ठे का संचालन नहीं किया जा रहा है तथा भविष्य में भी बिना उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये ईट भट्ठे का संचालन नहीं किया जायेगा।

प्रार्थी
रामकिशन

(रामकिशन) 05/04/2026
पार्टनर/प्रो०

मै० श्री गणेश ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज,
खसरा सं०-716, 718,
ग्राम-बुखरारी, तहसील-छाता,
जिला-मथुरा।

प्रतिलिपि- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

मै0 श्री गणेश ब्रिक्स इण्डस्ट्री, खसरा सं0-716, 718, ग्राम-बुखरारी, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।

